भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2910

10 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: कृषि यंत्रीकरण संबंधी उप-मिशन

2910. श्री केसिनेनी शिवनाथः

श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालूः

श्री डग्गुमल्ला प्रसादा रावः

श्री बस्तीपति नागराजूः

श्री बी. के. पार्थसारथीः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राज्यों ने कृषि यंत्रीकरण संबंधी उप-मिशन (एसएमएएम) के अंतर्गत वार्षिक कार्य योजनाएं प्रस्तुत की हैं;

(ख) यदि हाँ, तो पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में "व्यक्तिगत स्वामित्व के आधार पर कृषि मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए किसानों को वित्तीय सहायता" और "यंत्रीकृत कार्यों के लिए वित्तीय सहायता" के घटकों के अंतर्गत उल्लिखित लाभार्थियों की संख्या का राज्य-वार और वर्ष-वार, विशेषकर आंध्र प्रदेश के लिए जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त योजना के अंतर्गत इस घटक के कार्यान्वयन को मापने के लिए राज्य/केंद्र सरकार द्वारा कोई संपरीक्षा तंत्र संचालित किया गया है;

(घ) यदि हाँ, तो उपर्युक्त अवधि के दौरान देश में योजना के अंतर्गत लाभान्वित हुए लाभार्थियों की संख्या का राज्य-वार और वर्ष-वार, विशेषकर आंध्र प्रदेश के लिए जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या योजना के प्रभाव को मापने के लिए कोई संपरीक्षा की जाएगी?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी)

(क) से (ङ): कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (एसएमएएम) एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे वर्ष 2014-15 में आरंभ किया गया था और इसे अम्ब्रेला योजना 'राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)' के अंतर्गत एक घटक के रूप में कार्यान्वित किया गया है। एसएमएएम का मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों तथा फार्म पावर की कम उपलब्धता वाले क्षेत्रों में कृषि मशीनीकरण की पहुँच बढ़ाना है तथा छोटी भू-धारिता और कृषि मशीनों के व्यक्तिगत स्वामित्व की उच्च लागत के कारण उत्पन्न होने वाली प्रतिकूल इकॉनोमी ऑफ स्केल की क्षतिपूर्ति लिए 'कस्टम हायरिंग सेंटर' को बढ़ावा देना है। राज्यों को उनके जिला स्तर पर विकसित गए और राज्य स्तर पर समेकित किए गए वार्षिक कार्य योजनाओं (एएपी) के आधार पर केंद्रीय फंड जारी किए जाते हैं।

एसएमएएम के "व्यक्तिगत स्वामित्व के आधार पर कृषि मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए किसानों को वित्तीय सहायता" घटक के तहत पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्य-वार और वर्ष-वार लाभार्थियों की संख्या **अनुबंध-I** में दी गई है। राज्य स्तर पर जिला-वार आवंटन तय किए जाते हैं और आंध्र प्रदेश सरकार के कृषि विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पिछले पांच वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य के लाभार्थियों का जिला-वार विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है। 'यंत्रीकृत कार्यों के लिए वित्तीय सहायता' घटक केवल छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा कार्यान्वित किया गया और पिछले पांच वर्षों के दौरान इस घटक के तहत लाभान्वित किसानों की संख्या 1582 थी।

योजनाओं के प्रभावी मूल्यांकन का अध्ययन एक मानक, व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसका उपयोग नीतियों, कार्यक्रमों या परियोजनाओं के दीर्घकालिक, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभावों को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। एसएमएएम का प्रभावी मूल्यांकन, नीति आयोग के विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ) के तत्वावधान में 'पैकेज 1 - कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में सीएसएस योजनाओं का मूल्यांकन' अध्ययन के एक भाग के रूप में किया गया। वर्ष 2025 में जारी अध्ययन रिपोर्ट में विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों में प्राथमिक क्षेत्र कार्य, लाभार्थियों सहित मात्रात्मक सर्वेक्षण, केंद्र, राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर व्यापक स्टेकहोल्डर परामर्श और आधिकारिक रिकॉर्डों तथा योजना प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) से प्राप्त द्वितीयक डेटा विश्लेषण के आधार पर एसएमएएम सहित विभिन्न योजनाओं का एकीकृत मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया है।

अनुबंध-I

एसएमएएम के "किसानों को व्यक्तिगत स्वामित्व के आधार पर कृषि मशीनरी और उपकरण की खरीद के लिए वित्तीय सहायता" घटक के तहत राज्य-वार और वर्ष-वार लाभार्थियों की संख्या।

राज्य	लाभार्थियों की संख्या				
	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
आंध्र प्रदेश	*	*	*	*	25187
अरुणाचल	12650	12160	4541	2241	3741
असम	*	*	131	2	51
बिहार	2088	*	5	2101	8875
छत्तीसगढ़	20262	18297	19276	2918	3635
गोवा	*	1306	*	*	*
गुजरात	1639	518	1601	369	3907
हरियाणा	*	*	2285	*	*
हिमाचल प्रदेश	6925	3635	2874	157	2129
जम्मू और कश्मीर	3911	*	558	1752	1574
झारखंड	*	19871	*	*	*
कर्नाटक	45545	31130	23234	14675	24504
केरल	9217	27690	29755	28047	26834
मध्य प्रदेश	63800	56130	35100	30250	30441
महाराष्ट्र	4800	14914	30031	23314	7258
मणिपुर	110	113	1766	1838	*
मेघालय	630	50	187	*	486
मिजोरम	1750	1772	45	1604	159
नागालैंड	2255	167	4600	3932	3526
उड़ीसा	7444	424	494	9015	22824
पंजाब	*	*	1551	966	2669
राजस्थान	451	103	2345	6579	9801
सिक्किम	100	775	752	769	1835
तमिलनाडु	3241	3741	7732	39533	20647
तेलंगाना	*	*	*	*	*
त्रिपुरा	5250	12	6285	9827	11444
उत्तर प्रदेश	8572	5526	9962	12620	12179
उत्तराखंड	5012	*	7832	3221	4876
पश्चिम बंगाल	118	*	514	1070	3229
पुदुचेरी	*	*	219	*	*
लद्दाख	1314	*	*	*	*
कुल	207084	198334	193456	196800	231811

* राज्यों द्वारा इस घटक को कार्यान्वित नहीं किया गया है

अनुबंध-II

एसएमएएम के "किसानों को व्यक्तिगत स्वामित्व के आधार पर कृषि मशीनरी और उपकरण की खरीद के लिए वित्तीय सहायता" घटक के तहत आंध्र प्रदेश राज्य में जिला-वार लाभार्थियों की संख्या।

क्र.सं.	ज़िला	लाभार्थियों की संख्या
1	अल्लूरी सीताराम राजू	351
2	अनकपल्ली	1011
3	अनंतपुर	1072
4	अन्नामय्या	979
5	बापटला	1062
6	चित्तूर	979
7	डॉ. बी.आर. अंबेडकर कोनासीमा	521
8	ईस्ट गोदावरी	675
9	एलुरु	915
10	गुंटूर	1331
11	काकीनाडा	688
12	कृष्णा	1022
13	कुरनूल	1125
14	नंदयाल	963
15	एनटीआर	867
16	पलनाडू	1268
17	पार्वतीपुरम मन्यम	920
18	प्रकाशम	1258
19	एस.पी.एस.आर नेल्लोर	1451
20	श्री सत्य साईं	1021
21	श्रीकाकुलम	1405
22	तिरुपति	1679
23	विशाखापत्तनम	117
24	विज़ियानगरम	867
25	वेस्ट गोदावरी	709
26	वाई.एस.आर	931
	कुल	25187

*****